मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 136/2552/1(3)78 भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 1979.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश

विषयः- अस्थायी शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के संबंध में ।

***

। प्रशासन विभाग
0226/सी0आर0
ई0पी0सी0दि0
!

02069/1353
0दि0 24-10-70

031/73/3/1
5-2-73

अस्थाई पदों को स्थाई पदों में परिवर्तित करने तथा उन पर अस्थाई कर्मचारियों का स्थायीकरण किये जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हाशिये में उल्लिखित ज्ञापनों की ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है । इन आदेशों के संबंध में कुछ विभागों को अभी भी यह धारणा है कि स्वीकृत स्थाई पदों के केवल 80% पदों पर ही अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जा सकता है । इसी धारणा के आधार पर स्थाई पदों के 80% पदों पर ही अस्थाई शासकीय सेवकों को स्थाई किया जा रहा है तथा शेष 20% पद स्थाई होते हुए भी इन पर स्थायीकरण के लिए अस्थाई कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है ।

2/ शासन द्वारा सन् 1967 में विभागीय रचनाक्रमों की जांच के लिए एक विभागीय पुनर्गठन समिति(चौधरीसमिति) का गठन किया गया था । इस समिति द्वारा कुछ विभागों के रचनाक्रमों की जांच करके अपना प्रतिवेदन भी शासन को प्रस्तुत किया गया । समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर कई विभागों केपुनरीक्षित विभागीय रचनाक्रम स्वीकृत किये जा चुके है । जिन विभागों के रचनाक्रम उपर्युक्त प्रकार से

::2

पुनरीक्षित होकर स्वीकृत नहीं हो सके या बाद में अलग से रचनाक्रम स्वीकृत नहीं कराये गये, उनके रचनाक्रम पुर्व अनुसार ही अभी तक विद्यमान है । इस प्रकार विभागों के वर्तमान् रचनाक्रमों में जितने भी स्थाई पद उपलब्ध है उन सभी स्थाई पदों पर अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करना चाहिये । इसके अतिरिक्त, शासन के उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार इन्हीं रचनाक्रमों में स्वीकृत अस्थाई पदों के 80% पदों को भी स्थाई पदों में परिवर्तित कर, उन पर भी अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाना है ।

3/ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ विभागों के रचनाक्रमों में केवल एक या दो ही अस्थायी पद स्वीकृत है और यदि इन अस्थाई पदों को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रखें जानें की संभावना है, तो इन अस्थाई पदों को भी स्थायी पदों में परिवर्तित किया जा सकता है बशर्ते कि यह पद पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अस्तित्व में रहे हो । इसी के साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी विभाग के रचनाक्रमों में स्वीकृत स्थाई पदों के अतिरिक्त कुछ स्थाई पद अलग से निर्मित हुए हों, तो उन स्थाई पदों पर भी अस्थाई शासकीय सेवकों का स्थायीकरण किया जा सकता है ।

4/ समस्त विभागों से निवेदन है कि उपर्युक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अस्थाई शासकीय सेवकों के स्थायीकरण करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही पूरी की जाय ।

(हस्ताक्षर)

(एन०आर० कृष्णन)
विशेष सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

:: 3